



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय डा० संजय सिंह के निकट परिवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद महोदय श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से 03 अदद अवैध भैंस सहित 02 अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र मुवीन निवासी इमली दरवाजा कस्बा व थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ 2. नीतेश पुत्र जहान सिंह निवासी चौहट्टा कस्बा व थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर धारा 11(1) D पशु क्रूरता अधि० 1960 सम्बन्धित कायमी मु०अ०स०- 157/2023 धारा 11(1)D पशु क्रूरता अधि० 1960 पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



#### गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सलमान पुत्र मुवीन निवासी इमली दरवाजा कस्बा व थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
2. नीतेश पुत्र जहान सिंह निवासी चौहट्टा कस्बा व थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

#### बरामदगी:-

03 अदद अवैध भैंस

#### गिरफ्तार / बरामद करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम:-

1. ३०नि० नरेन्द्र सिंह
2. का० ३८० अशोक कुमार
3. का० १०३४ चमन सिंह पैसल







## Meticulous Investigation & Conviction Fatehgarh Police



पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ के निर्देशन में प्रभावी व सर्तक पैरवी से  
हुई लैंगिक अपराध बालको का संरक्षण अधिनियम मे 07 वर्ष के कठोर  
कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की

### सजा:-

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर के कुशल निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निकट पर्यवेक्षक एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के कुशल नेतृत्व में थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 113 / 2020 अन्तर्गत धारा 376,304,328 भादवि पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त अर्पित गुप्ता पुत्र अश्वनी कुमार नि0 बजरिया थाना मऊदरवाजा जनपद फर्लखाबाद को धारा 3/4 लैंगिक अपराध बालको का संरक्षण अधिनियम मे 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय, के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्मिति थाना प्रभारी व पैरोकार को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम व कोर्ट पैरोकार तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी द्वारा करते हुए दिनांक 29.05.2023 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फर्लखाबाद द्वारा अभियुक्त अर्पित गुप्ता पुत्र अश्वनी कुमार नि0 बजरिया थाना मऊदरवाजा जनपद फर्लखाबाद को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



श्री प्रदीप सिंह विशेष लोक अभियोजक विशेष मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट /



का0 435 नितिन यादव को0  
मऊदरवाजा जनपद फर्लखाबाद /



ASHOK SINGH MEENA  
IPS